



2020/60367

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत बनाम अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट
श्री माधुराम पुत्र श्री चुन्नीलाल सरकार जरिये नायबतहसीलदार
जाति रावल पिण्डवाडा
निवासी नई धनारी तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

किस्म मुकदमा- प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा
5 म्याद अधिनियम

मुकदमा नं. 73 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
06.10.2020	<p>प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र नायबतहसीलदार पिण्डवाडा के मुकदमा सं. 255/2020 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरुद्ध धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत पेश किया प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.11.2020 को पेश हो।</p> <p> जिला कलक्टर, सिरोही</p>	
06.11.2020	<p>अपीलांत/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलांत द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में कोविड-19 के कारण देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कन्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p> (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही</p>	

